फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

द्रोपतीदेवी वगैरह बनाम प्रेमकुमार आदि

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–06/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकील उभय पक्ष दिनांक 11.12.2019 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता के नाम रोही कस्बा सूरतगढ़ के खाता संख्या 179/134 के खसरा नं. 521/220 में 6.325 है0 बारानी भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण का आवंटन से लेकर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने इसे काबिल काश्त योग्य बनाया है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि के चारों तरफ तारबंदी एवं पिल्लर लगाये गये है। प्रार्थीगण के चिपते अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की भूमि है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा अपनी भूमि में ढ़ाणी बना रखी है। जो कि प्रार्थीगण की भूमि से चिपती है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा बार–बार प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये पिलरों एवं तारबंदी को तोड़ दिया जाता है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण का उसकी भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो उन्हे ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह कस्बा सूरतगढ़ के खाता संख्या 179/134 के ख0न0 521/220/6.325 है0 बारानी भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 किसी प्रकार की दखंलदांजी न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करवायें। वकील अप्रार्थीगण 1 ता 3 ने बताया कि हम अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण की भूमि हम किसी प्रकार से दखलदांजी नही कर रहे है। प्रार्थीगण मनगढ़त आरोप लगा रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारही न होने से निरस्त फरमावें। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलबध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रार्थीगण के बताया कि अप्रार्थीगण उनके चिपता काश्तकार है तथा उनकी खातेदारी भूमि में जबरन काबिज होना चाहते है एवं साथ ही बताया कि वह उनके पिलरों एवं तारबंदी को तोड़ देते है। प्रार्थीगण द्वारा जो फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न किये गये है उनमें नही लग रहा है कि प्रार्थीगण के पिलर तोड़े गये है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में घूस रहे है या नही यह दावा में गवाहों के बयान आदि होने पर ही साबित हो सकता है। मात्र प्रार्थीगण के कथन से किसी के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित नही लगती है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की ओर नही होना प्रकट होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 10.01.2018 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 16:02:46 IST
Reason: SelfAttested